व्यवस्थापक की टीप

हस्ता. व्यवस्थापक

टीप :-1. व्यवस्थापक महोदय प्रधानाचार्य द्वारा किये गये मूल्यांकन के जिस अंश से असहमत हों उसे लाल स्याही से रेखांकित करके संक्षिप्त हस्ताक्षर करें वे इन बिन्दुओं पर अपना मूल्यांकन पृथक संलग्न कर सकते हैं।

2. प्रत्येक प्रतिकूल अभ्युक्ति की लिखित सूचना व्यवस्थापक द्वारा आचार्य को दी जावेगी। आचार्य अपने पक्ष में लिखित प्रतिवाद दे सकेगा। इसके उत्तर से संतुष्ट होने पर व्यवस्थापक द्वारा प्रतिकूल अभ्युक्ति हटा दी जावेगी। प्रतिवाद देने के एक माह के भीतर व्यवस्थापक का उत्तर नहीं मिलने का अर्थ यह होगा कि प्रतिकूल अभ्युक्ति यथावत रखी गई है। प्रतिकूल अभ्युक्ति यथावत रखे जाने की स्थिति में जिला सचिव को अपील की जा सकती है, जिनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

3. गोपनीय चरित्रावली एवं इस बावत् हुआ समस्त पत्र व्यवहार आचार्य की व्यक्तिगत नस्ती में रखा जावेगा। गोपनीय चरित्रावली की पूर्ति प्रत्येक सत्रांत में 15 मई तक कर ली जावे।

सचिव, सरस्वती शिक्षा परिषद, मध्य प्रदेश